न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

देवीलाल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा– बाजदायरी प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 564 / 2025 (मसूदा)

	श्री भींयाराम चौधरी	
12.12.2025	देवीलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह (2025 / 564) यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री भींयाराम चौधरी एडवोकेट ने हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2025 को अपील अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज किये जाने से पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र बाजदायरी दिनांक 16.12.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	
16.12.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभभाषक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी बाबत निवेदन किया कि उपरोक्त अपील दिनांक 01.12.2025 को श्रीमान के समक्ष सुनवाई हेतु नियत था उस दिन अपीलांट व उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण माननीय न्यायालय ने उक्त अपील को अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज कर दिया। उक्त दिवस अपीलांट के अधिवक्ता किसी अन्य कोर्ट में व्यस्त थ। इस कारण श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और अपीलांट को हर पेशी पर आने के लिए माना कर रखा था तथा अपीलांट को आवश्यक्ता होने पर बुलान हेतु निर्देशित कर रखा था इस कारण अपीलांट भी उपस्थित नहीं हो सका। उक्त सद्भाविक त्रुटि से ही अधिवक्ता / अपीलांट उक्त अपील मे उपस्थिति नहीं दे सका। अपील को यदि पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई नहीं की गई तो अपीलांट को अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पडेगा जो कि न्याय कि कदापि मंशा नहीं है। अतः अपीलांट का उक्त आवेदन पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2025 को अपास्त कर अपीलांट की अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई किये जाने के आदेश फरमावें जो न्यायोचित होगा। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन दिनांक 01.12.2025 को अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे इसलिए अपील को अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ए0आई0आर 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 1400 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये, जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। हम इस तर्क से सहमत है कि वकील की गलती की सजा मुव्वकिल को नहीं दी जा सकती है। हम प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित नहीं कर गुणावगुण पर निस्तारित करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।प्रार्थना पत्र बाजदायरी फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner